विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 992.05 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क के अनारोपण/ अल्पारोपण/हानि से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक दीर्घ कंडिका सहित 28 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 830.09 करोड़ वसूलनीय तथा शेष ₹ 161.96 करोड़ की राशि सरकार को सैद्धान्तिक क्षति थी। सैद्धान्तिक क्षति सहित ₹ 530.66 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभाग ने स्वीकार किया। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

I. सामान्य

वर्ष 2012-13 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 24,769.55 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 26,136.79 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 9,379.79 करोड़ एवं कर-भिन्न राजस्व के ₹ 3,752.71 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 13,132.50 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 13,004.29 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा: ₹ 8,939.32 करोड़ एवं सहायता अनुदान: ₹ 4,064.97 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 50 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2013-14 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 7,305.08 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 3,230.22 करोड़) क्रमश: कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

दिसम्बर 2013 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या जिसका निपटारा जून 2014 तक नहीं हो पाया था, क्रमश: 977 एवं 8,127 थीं, जिनमें ₹ 12,704.36 करोड़ सन्निहित थे। दिसम्बर 2013 तक निर्गत 203 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों के जारी होने के एक माह के अंदर उनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2013-14 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क, खनन प्राप्तियाँ के 125 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कुल ₹ 2,313.83 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि के 20,230 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान संबद्ध विभागों ने 16,296 मामलों में सन्निहित ₹ 542.57 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया एवं 2013-14 में 378 मामलों में ₹ 8.53 करोड़ वसूल की गयी।

(कंडिका 1.10)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"कार्य/आपूर्ति संविदाओं पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण" के निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुए:

- कर संग्रहण में 2008-09 से 2012-13 के दौरान वृद्धि हुई, लेकिन विभाग को कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध स्रोत पर की गई कटौती की विवरणियों के उपयोग द्वारा, अधिक से अधिक संवेदकों को कर दायरे में लाने के लिए अनिबंधित संवेदकों का पता लगा कर, अंतर्विभागीय आँकड़ों के विनियमन हेतु तंत्र स्थापित कर, नियमित बाजार सर्वेक्षणों एवं अन्य विभागों के साथ आँकड़े/अभिलेखों की तिर्यक जाँच कर अधिक राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करना था। हमने विविध संगठनों के स्रोत पर की गई कटौतियों की विवरणियों की तिर्यक जाँच की तथा पाया कि 2006-07 से 2012-13 के दौरान 21 अनिबंधित कार्य संवेदकों से ₹ 12.57 करोड़ का कर अपवंचन हुआ।

(कंडिका 2.3.10)

- लोक कार्य प्रमण्डलों, उपक्रम इकाइयों, नगर निकायों एवं बड़े संवेदकों के कर निर्धारण अभिलेखों से संग्रहित आँकड़ों का 175 संवेदकों/उपसंवेदकों के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ की गई तिर्यक जाँच से 2006-07 एवं 2012-13 के बीच ₹ 735.69 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता चला जिसके परिणामस्वरूप ₹ 165.45 करोड़ का अर्थदण्ड/ब्याज सहित ₹ 257.87 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सकल आवर्त से अमान्य छूट की स्वीकृति दिए जाने के फलस्वरूप, 72 संवेदकों के मामलें में 2006-07 से 2011-12 की अवधि में ₹ 28.86 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.13)

- ₹ 132.02 करोड़ करदेय आवर्त के गलत निर्धारण के फलस्वरूप छः संवेदकों के मामले में, 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 15.43 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

- पाँच संवेदकों द्वारा 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान घोषणा प्रपत्र 'सी' के दुरूपयोग के फलस्वरूप, ₹ 32.34 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 53.91 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.18)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 48 संवेदकों के मामले में 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए गलत दर के अनुप्रयोग के फलस्वरूप, ₹ 34.96 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.19)

- स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) के संग्रहण एवं उनके कोषागार में प्रेषण हेतु अनुश्रवण तंत्र की अनुपस्थिति के फलस्वरूप, दो संवेदकों द्वारा 2009-10 के दौरान ₹ 1.51 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.02 करोड़ के स्रोत पर की गई कर की कटौती (टी.डी.एस.) को नहीं/कम जमा किया गया।

(कंडिका 2.3.22.1)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा देय मू.व.क. से स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) के सामंजन की गलत अनुमति के फलस्वरूप, तीन संवेदकों के मामले में 2008-09 एवं 2009-10 की अवधि के लिए ₹ 19.13 लाख का अधिक सामंजन हुआ।

(कंडिका 2.3.22.2)

14 वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 31 व्यवसायियों के क्रय/विक्रय आवर्त का निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण में अनियमितता बरते जाने के परिणामस्वरुप, 2007-08 से 2010-11 के दौरान ₹ 196.46 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.4.1)

दो वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित तीन व्यवसायियों के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सकल आवर्त के गलत निर्धारण के परिणामस्वरुप, 2008-09 से 2009-10 के दौरान ₹ 15.52 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.4.2)

नौ वाणिज्यकर अंचलों में 15 निर्धारितियों के मामलों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 2007-08 से 2010-11 के दौरान ₹ 23.10 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया।

(कंडिका 2.5)

जमशेदपुर वाणिज्य कर अंचल में 2007-08 से 2009-10 के दौरान एक निर्धारिती द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' के दुरूपयोग पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 6.64 करोड़ का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

(कंडिका 2.6.1)

सात वाणिज्यकर अंचलों में 11 निर्धारितियों के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 1.06 करोड़ का अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट किया गया।

(कंडिका 2.7)

III. राज्य उत्पाद

"झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुए:

- पाँच उत्पाद जिलों में वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान 82 उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती के कारण, सरकार ₹ 24.88 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 3.3.8)

- तीन उत्पाद जिलों में 2012-13 के दौरान 140 खुदरा उत्पाद दुकानों के 59 अनुज्ञाधारियों के मामले में निर्धारित अवधि में अनुज्ञा शुल्क जमा करने में विलंब के कारण, ₹ 57.79 लाख का ब्याज, हालांकि आरोप्य था, विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.9)

- 11 उत्पाद जिलों में अनुज्ञा शुल्क के भुगतान, जैसा कि नयी उत्पाद नीति में प्रावधान था, से अनुचित छूट के कारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान सरकार ₹ 137.08 करोड़ के अनुज्ञा शुल्क से वंचित हुई।

(कंडिका 3.3.10)

- पाँच उत्पाद जिलों में, 263 खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों ने न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाया, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.00 करोड़ के उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.3.11)

- बकायों की वसूली हेतु, नीलामपत्रवाद दायर करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 20.12 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.3.17)

IV. वाहनों पर कर

"वाहन सॉफ्टवेयर में कमियाँ" पर एक दीर्घ कंडिका में निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुआ:

- आठ परिवहन कार्यालयों से संबंधित 4,647 वाहनों के मामले में 2008-09 से 2012-13 के दौरान बकाया कर का निष्पादन किये बिना, चालू कर के स्वीकार किये जाने के कारण, ₹ 2.30 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 4.4.1)

16 जिला परिवहन कार्यालयों में से 4,868 वाहन स्वामियों द्वारा अगस्त 2010 एवं मार्च 2014 की अवधि में, ₹ 18.75 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.5)

14 जिला परिवहन कार्यालयों में 2011-12 से 2012-13 के दौरान संग्राहक बैंको ने, उनके द्वारा संग्रहित राजस्व को एक से ग्यारह महीने के विलम्ब से सरकारी लेखे में प्रेषित किया, किन्तु विलम्ब से प्रेषण पर देय ₹ 9.20 करोड़ का ब्याज संग्राहक बैंक द्वारा जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 4.6)

16 जिला परिवहन कार्यालयों में 1,081 निजी वाहनों के मामलों में, जिसकी कर वैधता अगस्त 2008 एवं जनवरी 2014 के मध्य समाप्त हो गयी, कर वैधता की समाप्ति के पश्चात ₹ 2.21 करोड़ का एक मुश्त कर यद्यपि आरोप्य था, का आरोपण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 3.13 लाख का कर अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

(कंडिका 4.7)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

भू-राजस्व

21.845 एकड़ जी.एम.खास/कैशरे हिन्द भूमि को गिरिडीह अपर समाहर्त्ता कार्यालय द्वारा ₹ 4.61 करोड़ के अधिभार का पूंजीकृत मूल्य के बिना भुगतान के रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया।

(कंडिका 5.4)

बिना सरकार की अनुमति के, ₹ 30.48 लाख सलामी एवं वाणिज्यिक किराया का पूँजीकृत मूल्य के रूप में भुगतान प्राप्त किये बिना, गैर मजरुआ खास भूमि को निजी शैक्षणिक संस्थान को बन्दोबस्त किया गया।

(कंडिका 5.6)

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

आँकड़ों/सूचनाओं के अंतर्विभागीय आदान-प्रदान तंत्र के अभाव के कारण, पथ निर्माण प्रमण्डल, नगर परिषद, अंचल कार्यालय आदि के द्वारा 2010-11 एवं 2012-13 के मध्य निष्पादित पट्टों का निबंधन नहीं हुआ एवं परिणामस्वरुप, ₹ 1.33 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नही हुआ।

(कंडिका 5.11)

विद्युत पर कर एवं शुल्क

डी.वी.सी. से प्राप्त आँकड़ों को, दो वाणिज्यकर अंचलों के तीन निर्धारितियों के निर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच में, 2004-05 एवं 2010-11 के मध्य 9.90 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा के क्रय के छिपाव का पता चला जिसके परिणामस्वरुप,

₹ 39.62 लाख का विद्युत शुल्क एवं अधिभार के अतिरक्त ₹ 1.61 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.16)

VI. खनन प्राप्तियाँ

पाँच जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 40 पट्टेधारियों के मामले में, 2011-12 से 2012-13 के मध्य ₹ 47.31 लाख मी.ट. बॉक्साइट, कोयला एवं लौह अयस्क के प्रेषण पर स्वामिस्व के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरुप ₹ 18.77 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.4)

2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान, 3.03 लाख घन मीटर के लघु खनिजों के अवैध खनन के लिए दो जिला खनन कार्यालयों में ₹ 4.21 करोड़ का अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.6)